तेजिंदर सिंह ढिंढसा और ललित बत्रा,जे. जे. के समक्ष

राजेंद्र-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी

सीआरए-डी सं. 807-डीबी 2013

02 जून, 2022

भारतीय दंड संहिता 1860 एस.एस.323,376-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस. एस. 164,173,313 भा.दं.सं. सी. की खंड 376 के तहत दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली अपील-नाबालिग अभियोजक, 14 साल की उम्र, कक्षा 8 की छात्रा ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत की-आरोपी-वह 7 साल की उम्र से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था। जब मां के संज्ञान में कुकर्म लाए जाते हैं-अभियुक्त द्वारा अभियोजक की पिटाई-जब मामला दोस्त की मां के संज्ञान में लाया जाता है-प्राथमिकी दर्ज की जाती है-प्राथमिकी दर्ज करने में देरी-अप्रासंगिक-पुलिस से संपर्क करने में अनिच्छा-समाज के रवैये के कारण-इस तरह की देरी-यह संकेत नहीं देती है कि संस्करण गलत है-निर्दोष बच्चों पर यौन अपराधों के अपराधी मनोवैज्ञानिक-सामाजिक विचलित हैं-नरमी का दावा नहीं कर सकते-अपीलकर्ता दया का हकदार नहीं है-अपील खारिज कर दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि अभियोजक द्वारा शिकायत दर्ज करने में किसी भी देरी के संबंध में अपील में कोई आधार नहीं लिया गया है और न ही अपीलकर्ता की ओर से ऐसा कोई तर्क दिया गया है, फिर भी यह देखा गया है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने में देरी अभियोजक के मामले में संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।केवल इसलिए कि शिकायत तुरंत से कम दर्ज की गई थी, यह निष्कर्ष नहीं उठाता है कि शिकायत झूठी थी। पुलिस के पास जाने की अनिच्छा ऐसी महिला के प्रति समाज के रवैये के कारण है; यह उसके साथ सांत्वना और सहानुभूति के बजाय उस पर संदेह और शर्म पैदा करता है। इसलिए ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने में देरी का मतलब यह नहीं है कि उनका बयान गलत है।

(पैरा 25)

आगे कहा है कि तत्काल मामले में, अभियोजक के रूप में उसके पिता द्वारा उसकी कम उम्र के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया था और जब वह बड़ी हुई और उसके पिता के कुकर्म जारी रहे, तो उसने अपने पिता के गलत कार्य के लिए कानूनी रास्ता खोजने का साहसी प्रयास किया। इस परिदृश्य में, पुलिस को मामले की सूचना देने में यदि कोई देरी होती है तो उसे महत्वहीन बना दिया।

(पैरा 26)

करण भारद्वाज, अधिवक्ता/कानूनी सहायता वकील एच. सी. एल. एस. सी.

अपीलकर्ता।

दीपक भारद्वाज, उप महाधिवक्ता हरियाणा।

ललित बत्रा, जे.

(1) अपीलार्थी-दोषी राजेंद्र द्वारा इस दाण्डिक अपीलीय को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें फरीदाबाद के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांकित आई. डी. 23-5-2013 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांकित आई. डी. 21-5-2013 के आदेश की वैधता पर आक्षेप किया गया है जिसके संदर्भ में उसे भा.दं.सं. सी. की खंड 376 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और रू.10,000/- का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर उसे दो महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी, मामले में भा.दं.सं. सी. की खंड 323 और 376 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट 372 दिनाक 14-10-2012 पुलिस स्टेशन सूरजकुंड, जिला फरीदाबाद में दर्ज की गई।

(2) अभियोजन पक्ष के संस्करण के अनुसार, 14.10.2012 अभियोजक पर (पंजाब राज्य बनाम गुरमैल सिंह 1 मामले में निर्धारित कानून के अनुसार नाम का खुलासा नहीं किया गया, 14 साल की उम्र में, कक्षा-VII की छात्रा ने अपने पिता (आरोपी) के खिलाफ शिकायत (पर्दर्शनी पी/2) की, जिसमें कहा गया कि उसके पिता सात (7) साल की उम्र से उसका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं और जब वह अपने पिता के उपरोक्त कुकर्मों को अपनी मां के पास ले आई, तो बाद वाले को आरोपी द्वारा पीटा गया।उसने आगे आरोप लगाया कि चूंकि उसके पिता द्वारा उसका नियमित रूप से यौन उत्पीड़न किया जाता था, इसलिए उसके पिता ने उसे गर्भपात की गोलियां देते हुए गर्भपात राया। उसने आगे आरोप लगाया कि जब भी उसने किसी को अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की, तो उसके पिता ने उसे पीटा और उक्त कारण से वह किसी को भी अपनी पीड़ा नहीं बता सकी। उसने आगे आरोप लगाया दिनाकं 12.10.2012 पर लगभग 1:30 सुबह (आधी रात), उसके पिता ने फिर से उसके साथ बलात्कार किया और आखिरकार उसने इस मामले को अपने दोस्त की मां के संज्ञान में लाया। इन आरोपों के आधार पर प्राथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्शनी पी /14) दर्ज की गई थी। नाबालिग अभियोजक की चिकित्सकीय रूप से कानूनी जांच की गई, मेडिको लीगल रिपोर्ट (पर्दर्शनी पी /7) के माध्यम से और उसके योनि स्वैब आदि लिए गए और उन्हें विश्लेषण के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया। अभियोजक की रेडियो-तार्किक जांच की गई थी, उसकी उम्र का पता लगाने के लिए ऑसिफिकेशन परीक्षण के लिए 14.10.2012 (पर्दर्शनी पी. /4) की रिपोर्ट के माध्यम से, जिसके संदर्भ में, उसकी अनुमानित हड्डी की उम्र के मार्जिन के साथ 16 से 18 वर्ष बताई गई थी। दोनों तरफ छह महीने की त्रुटि। खंड 164 द.प.स के तहत परिकल्पित अभियोजक अभियोक्त्री का बयान। (पर्दर्शनी पी /19) दर्ज किया गया था। घटना स्थल का रफ साइट-प्लान (पर्दर्शनी पी /16) तैयार किया गया था।आरोपी को 16.10.2012 पर गिरफ्तार किया गया

था और मेडिको लीगल रिपोर्ट (पर्दर्शनी पी /8) के माध्यम से उसकी चिकित्सकीय-कानूनी जांच की गई थी। घटना स्थल का स्केल्ड साइट-प्लान (पर्दर्शनी पी /10) तैयार किया गया था। प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2012 (पर्दर्शनी पी /6) प्राचार्य, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा, फरीदाबाद से प्राप्त किया गया था जिसके संदर्भ में, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार अभियोजक की जन्म तिथि 20 मई, 1999 दर्ज की गई थी। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जाँच के पूरा होने के बाद खंड 173 द .प .स के तहत परिकल्पित अंतिम रिपोर्ट। (चालान) अभियुक्त के खिलाफ अदालत में पेश किया गया था।

1996 (1) आर सी आर 533

(3) प्रथमदृष्टया मामला पाते हुए, आरोपी पर भा.दं.सं. सी. की खंड 312,323,376 और 506 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की खंड 4 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था।

(4) अभियोजन पक्ष ने अपने मामले की पुष्टि करने के लिए पीडब्लू-1 महिला कांस्टेबल मीना, पीडब्लू-2 सुश्री संगीता रावत, कानूनी सहायता वकील, पीडब्लू-3 सुश्री सीमा, पीडब्लू-4 डॉ. नवीन अग्रवाल, चिकित्सा अधिकारी, बी. के. अस्पताल, फरीदाबाद, पीडब्लू-5 राम पाल शास्त्री, संस्कृत शिक्षक, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा, पीडब्लू-6 डॉ. स्मृति, चिकित्सा अधिकारी, पीडब्लू-7 डॉ. सदन प्रसाद, पीडब्लू-8 हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, पीडब्लू-9 अनुज कुमार, ड्राफ्ट्समैन, पीडब्लू-10 कांस्टेबल संदीप कुमार, पीडब्लू-11 कांस्टेबल मम चंद, पीडब्लू-12 हेड कांस्टेबल कमल, पीडब्लू-13 सब इंस्पेक्टर अजीत सिंह, जांच अधिकारी, पीडब्लू-13 नाबालिग पीड़ित/(निचली आदालत द्वारा , पीडब्लू-13 को गलत क्रमक लिया गया पीडब्लू-14 अशोक गोयल रीडर जे.म.आई.सी फरीदाबाद ‘;अभियोजक से पूछताछ की है। शेष गवाहों को अनावश्यक होने के कारण छोड़ने के बाद, राज्य के विद्वान लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद कर दिया गया था।

(5) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद, खंड 313 Cr.P.C के तहत परिकल्पित आरोपी का बयान दर्ज किया गया था जिसमें उसे सभी आपत्तिजनक सामग्री/सबूत दिए गए थे लेकिन उसने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है।अभियुक्त ने कहा है कि वह निर्दोष है और उसे तत्काल मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वह और उनकी पत्नी आपत्ति करते थे और वे अभियोजक को उसके दोस्त के घर पर रहने की अनुमति नहीं देते थे क्योंकि वे आपत्तिजनक और अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे और फिर उसके दोस्त की मां के साथ मिलीभगत में अभियोजक ने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया है।

(ललित बत्रा,जे.)

(6) अपने बचाव में आरोपी ने अपनी पत्नी डी. डब्ल्यू.-1 शांता देवी भट्ट और डी. डब्ल्यू.-2 लोकमान सिंह, प्रबंधक, मेसर्स स्टालवार्ट इंडस्ट्रीज। से पूछताछ की है।

(7) साक्ष्य के मूल्यांकन पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और दोषी ठहराए जाने के फैसले और सजा के आदेश के माध्यम से ऊपर बताए गए तरीके से सजा सुनाई।

(8) हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान राज्य वकील को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की आलोचनात्मक जांच की है।

(9) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया है कि विद्वत निचली अदालत यह समझने अन्य बातों के साथ साथ विफल रहा है कि डी. डब्ल्यू.-1 शांता देवी भट्ट (अभियोजक की माँ) ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि उन्होंने न तो अपने पति को अपनी बेटी (अभियोजक) के साथ कोई आपत्तिजनक कार्य करते देखा है और न ही उनकी बेटी ने कभी अपीलकर्ता के कथित कुकर्मों के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि अभियोजक अपने दोस्त के साथ रहता था, जिसका पूरा परिवार अवैध गतिविधियों में शामिल था, और अपीलकर्ता के रूप में और साथ ही उसकी पत्नी (डी. डब्ल्यू.-1 शांता देवी भट्ट) अभियोजक को अपने दोस्त और उसके परिवार के सदस्यों के साथ नहीं मिलने की चेतावनी देती थी फिर अपने दोस्त की मां के साथ मिलीभगत पर अभियोजक ने अपीलकर्ता को एक झूठे मामले में फंसाया है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि डी. डब्ल्यू.-2 लोकमान सिंह, औद्योगिक संस्था के प्रबंधक जहां अपीलकर्ता कार्यरत थे ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलकर्ता अच्छे चरित्र का व्यक्ति है और उन्होंने कभी नहीं सुना कि अपीलकर्ता ने कभी किसी कर्मचारी सदस्य या अपने परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि चूंकि अपीलकर्ता अपने परिवार के सदस्यों (कुल आठ संख्या में) के साथ एक कमरे के आवास में रह रहा था, इसलिए यह काफी असंभव था कि वह कथित अपराध करेगा और वह भी अपनी बेटी के साथ। उन्होंने आगे आग्रह किया कि आरोपों के अनुसार, अभियोजक का उसके पिता (इसमें अपीलकर्ता) द्वारा लंबे समय तक यौन उत्पीड़न किया गया था और यहां तक कि उसे कई बार गर्भपात भी कराया गया था, हालांकि, चिकित्सा रिकॉर्ड के अनुसार, अभियोजक की योनि केवल उंगली की नोक को स्वीकार कर रही थी, जो दर्शाता है कि अभियोजक द्वारा यौन उत्पीड़न की झूठी कहानी गढ़ी गई है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष के व्यक्ति पर चोट के निशान की अनुपस्थिति में के साथ-साथ योनि स्वैब पर वीर्य की अनुपस्थिति में से पता चलता है कि उसका कभी यौन उत्पीड़न नहीं किया गया था। उन्होंने आगे आग्रह किया कि चूंकि अभियोजन पक्ष का संस्करण भौतिक विवरणों पर असंगत है और यह तथ्य कि यह दुर्बलताओं से भरा है, इस प्रकार, अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप दोषसिद्धि का निर्णय और सजा की मात्रा पर आदेश को दरकिनार किया जा सकता है और परिणामस्वरूप अपीलकर्ता अपने खिलाफ लगाए गए आरोप से बरी होने का हकदार है।

(10) दूसरी ओर, विद्वान राज्य के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य का नेतृत्व करके अपीलकर्ता के खिलाफ अपना मामला साबित कर दिया है। उन्होंने आगे आग्रह किया कि जब पीडब्लू-13 अभियोजक गवाह बॉक्स में पेश हुआ तो उसने अभियोजन पक्ष के बयान को स्पष्ट रूप से सुनाया है और आगे पीडब्लू-3 सीमा (अभियोजक के दोस्त की मां) भी उसके बचाव में आई है। पीडब्लू-6 डॉ. स्मृति की गवाही के संबंध में, उन्होंने तर्क दिया कि उक्त गवाह ने अपनी जांच के दौरान

अभियोजन पक्ष की मेडिको लीगल रिपोर्ट को दोहराते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी राय में अभियोजन पक्ष के व्यक्ति पर यौन संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।उन्होंने आगे आग्रह किया कि यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी यौन गतिविधियों को करने में सक्षम नहीं है जैसा कि उसकी मेडिको लीगल रिपोर्ट पर्दर्शनी पी /8) से स्पष्ट है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि हालाँकि अभियोजक की माँ (डी. डब्ल्यू.-2 शांता देवी भट्ट) अपने पति (यहाँ अपीलकर्ता) के बचाव में आई है, हालाँकि उक्त गवाह की गवाही को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है और इसे निचली अदालत द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया है क्योंकि अभियोजक ने निचली अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान स्पष्ट रूप से कहा है कि हालाँकि उसने अपने पिता के कुकर्मों के बारे में अपनी माँ को बताया था, लेकिन बाद मे कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने आगे आग्रह किया कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और दर्दनाक है कि एक पिता, जो अपने बच्चों का रक्षक है, कई वर्षों से अपनी ही बेटी का यौन उत्पीड़न कर रहा है और अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और निचली अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है।

(11) पक्षो के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने और मामले के रिकॉर्ड को ध्यान से देखने के बाद हमारी राय है की अभियोजन पक्ष के साक्ष्य ठौस और विश्वास योग्य है । पीडब्लू-13 अभियोजक ने जब गवाह बॉक्स में कदम रखा तो उसने कहा कि उसकी जन्म तिथि 03.11.1998 है (जबकि प्रिंसिपल, सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा, फरीदाबाद द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.12.2012, पर्दर्शनी पी /6 में, स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्म तिथि 20 मई, 1999 दर्ज की गई है) और जब वह मुश्किल से सात साल की थी, तो उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार किया और उस समय उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था। उसने आगे कहा कि जब वह 11 साल की हो जाती थी, तो उसके पिता उसका यौन उत्पीड़न करते थे और वह नशे में घर आता था और कभी-कभी वह उसे छोड़ देता था और कभी-कभी वह उसका यौन उत्पीड़न करता था। उसने आगे कहा कि जब वह 11-12 वर्ष के आयु वर्ग में थी (गवाह की गवाही में गलत तरीके से 11 से 20 टाइप किया गया था), तो वह गर्भवती हो गई और उसकी गर्भावस्था तीन महीने की थी, जिसका गर्भपात करवा दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जब वह 13 साल की हो गईं तो उनका गर्भपात उसके पिता द्वारा दो बार कर दिया गया। उसने आगे कहा कि अक्टूबर, 2012 में दूसरे शनिवार की पिछली रात को, उसके पिता द्वारा उसका फिर से यौन शोषण किया गया था। उसने आगे कहा कि हालांकि दूसरा शनिवार होने के कारण वह छुट्टी थी लेकिन अपने पिता को यह बताने के बाद कि यह एक कार्य दिवस था, वह अपने घर से भाग गई और अपने दोस्त के घर गई और अपने पिता के सभी कुकर्मों को अपने दोस्त की मां को बताया।पी. डब्ल्यू.-3 सीमा अभियोजक की दोस्त की माँ ने पी. डब्ल्यू.-13 अभियोजक की गवाही की पुष्टि करते हुए स्पष्ट रूप से गवाही दी है कि अभियोजक उसकी बेटी का दोस्त है और जब अभियोजक ने उसे बताया कि उसके पिता उसके साथ गलत कर रहे थे तो उसने उसे (अभियोजक को) कानूनी रास्ता अपनाने का सुझाव दिया। उसने (पीडब्लू-3 सीमा) आगे बयान दिया कि अभियोजक ने उसे विशेष रूप से बताया था कि उसके पिता आगे धमकी के साथ उसका उल्लंघन कर रहे थे कि उसके इनकार करने की स्थिति में उसे मार दिया जाएगा। पीडब्लू-3 सीमा ने विशेष रूप से कहा है कि अभियोजक ने उसे यह भी बताया था कि उसके पिता द्वारा दस साल की उम्र से उसका उल्लंघन किया जा रहा था। इस मोड़ पर यह इंगित करना प्रासंगिक है कि पीडब्लू-6 डॉ. स्मृति, जिन्होंने अभियोजक के व्यक्ति की चिकित्सकीय-कानूनी जांच की थी, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी राय में यौन संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।नाबालिग अभियोजक का साक्ष्य अपीलकर्ता के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीडब्लू-13 अभियोजक और पीडब्लू-3 सीमा जैसे किसी

भी गवाह की अपीलकर्ता के खिलाफ कोई दुर्भावना या दुश्मनी नहीं थी।डी. डब्ल्यू.-1 शांता देवी भट्ट (अभियोजक की माँ), अपनी नाबालिग बेटी की रक्षक/अभिभावक होने के नाते, अभियोजक के बचाव में आनी चाहिए थी हालांकि इसके बजाय उन्होंने कभी भी अभियोजक का समर्थन नहीं किया और यही कारण है कि उल्लंघन लगातार सात साल तक चला और अभियोजक केवल इस कारण से उसे हुई पीड़ा का खुलासा नहीं कर सका कि वह कम उम्र की थी। अभियोजक पर यौन हमले की अवधि उसकी कम उम्र से लगभग सात साल तक चली और एक बार जब उसकी माँ (डी. डब्ल्यू.-1 शांता देवी भट्ट) उसके कारण का समर्थन नहीं कर रही थी और बल्कि वह अपने पति (इसमें आरोपी) के बचाव में आई है तो पीड़ित/अभियोजक जो अपने पिता द्वारा प्रारंभिक यौन हमले के समय लगभग सात साल की थी ने अपने पिता के कुकर्मों को प्रकट करने के लिए लगभग सात साल के अंतराल के बाद खुद को साहसी बनाया।

(12) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि इस बारे में कोई तुकबंदी या कारण नहीं है कि पीड़ित/अभियोजक को गलत तरीके से गवाही क्यों देनी चाहिए ताकि उसके सम्मान और गरिमा को उजागर किया जा सके और परिवार के साथ-साथ समाज द्वारा बहिष्कृत या बहिष्कार और निंदा को जोखिम में डालते हुए पूरे परिवार को समाज के सामने उजागर किया जा सके। आत्मसम्मान और गरिमा की कोई लड़की नहीं जो अपनी पवित्रता के प्रति सचेत रहने पर विवाहित जीवन और आजीविका की अपेक्षा रखने पर किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का झूठा आरोप लगाया जाएगा उसके पिता के खिलाफ बहुत कम जिससे उसकी पवित्रता का त्याग किया जाएगा और पूरे परिवार को शर्म की स्थिति में और समाज द्वारा निंदा और बहिष्कार के जोखिम में डाल दिया जाएगा।

(13) अब यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि दोषसिद्धि केवल अभियोजक की गवाही पर आधारित हो सकती है जब तक कि पुष्टि करने के लिए मजबूर करने वाले कारण न हों। अभियोजक का साक्ष्य घायल गवाह की तुलना में अधिक विश्वसनीय होता है।यौन उत्पीड़न की पीड़ित की गवाही तब तक महत्वपूर्ण है जब तक कि उसके बयान की पुष्टि करने के लिए मजबूर करने वाले कारण न हों अदालतों को केवल यौन उत्पीड़न की पीड़ित की गवाही पर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए ताकि किसी आरोपी को दोषी ठहराया जा सके जहां उसकी गवाही विश्वास को प्रेरित करती है और विश्वसनीय पाई जाती है। यह भी कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अभियोजक की गवाही पर न्यायिक निर्भरता के लिए एक शर्त के रूप में पुष्टि करना कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दी गई परिस्थितियों में विवेक का मार्गदर्शन है। अभियोजक के बयान में मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियां भी अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए।

(14) भारवाड़ा भोगिनभाई हिरजिभाई बनाम राज्य के मामले में गुजरात 2 के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार बतायाः-

“भारतीय परिवेश में एक नियम के रूप में पुष्टि की अनुपस्थिति में में यौन हमले की शिकार की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करना, चोट का अपमान करना है। बलात्कार या यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह अविश्वास या संदेह से भरे चश्मे की मदद से क्यों देखा जाना चाहिए? यह आगे बताया गया कि सैद्धांतिक रूप से यौन उत्पीड़न की पीड़ित का साक्ष्य एक घायल गवाह के साक्ष्य के बराबर है। जिस तरह एक गवाह जिसने चोट पहुँचाई है (जिसे दिखाया नहीं गया है या माना जाता है कि वह खुद से मारा गया है) इस मायने में सबसे अच्छा गवाह है कि उसके वास्तविक अपराधी को दोषमुक्त करने की संभावना कम है, उसी तरह यौन-अपराध के शिकार व्यक्ति का साक्ष्य बहुत भारी होने का हकदार है, पुष्टि की अनुपस्थिति में के बावजूद।उपरोक्त अवलोकन इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कारकों के कारण किया गया थाः (1) परंपरा में एक लड़की या एक महिला बाध्य गैर-अनुमेय समाज स्वीकार करने के लिये भारत में भी बेहद अनिच्छुक होगा कि कोई भी घटना जो उसकी पवित्रता पर प्रतिबिंबित होने की संभावना है, कभी हुई थी। (2) वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने या अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों सहित समाज द्वारा नीचा देखे जाने के खतरे के प्रति सचेत होगी। (3) उसे पूरी दुनिया को बहादुर बनाना होगा।(4) उसे अपने पति और करीबी रिश्तेदारों के प्यार और सम्मान को खोने और अपने वैवाहिक घर और खुशी के टूटने के जोखिम का सामना करना पड़ेगा। (5) यदि वह अविवाहित है, तो उसे आशंका होगी कि एक सम्मानित या स्वीकार्य परिवार से एक उपयुक्त जोड़े के साथ गठबंधन करना मुश्किल होगा। (6) यह लगभग अनिवार्य रूप से और लगभग हमेशा खुद के लिए मानसिक यातना और पीड़ा का परिणाम होगा। (7) दूसरों द्वारा ताना मारे जाने का डर हमेशा उसे परेशान करता रहेगा। (8) वह इस घटना को एक परंपरा से बंधे समाज में पालन-पोषण के कारण शर्म की भावना से दूसरों पर हावी होने से जोड़कर बेहद शर्मिंदा महसूस करेगी, जहां बड़े पैमाने पर सेक्स वर्जित है। (9) स्वाभाविक झुकाव यह होगा कि घटना का प्रचार करने से बचें ताकि परिवार का नाम और परिवार का सम्मान विवाद में न आ जाए। (10) अविवाहित लड़की के माता-पिता के साथ-साथ विवाहित महिला के पति और पति के परिवार के सदस्य भी अक्सर परिवार के नाम और परिवार के सम्मान पर सामाजिक कलंक के डर से प्रचार से बचना चाहते हैं। (11) पीड़ित के खुद को निर्दोष होने की परवाह किए बिना घटना के लिए स्वच्छंद या किसी तरह से जिम्मेदार माने जाने का डर। (12) जाँच एजेंसी द्वारा पूछताछ का सामना करने की अनिच्छा अदालत का सामना करने की अनिच्छा, अपराधी के वकील द्वारा प जिरह का सामना करने की अनिच्छा और अविश्वास होने का जोखिम एक निवारक के रूप में कार्य करता है।”

2 1983(2) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 192

(15) पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (अनुसूचित जाति) 3 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः-

"बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला नहीं है-यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व के लिए विनाशकारी होता है। एक हत्या पीड़ित के शारीरिक शरीर को नष्ट कर देती है, एक बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को ही अपमानित कर देता है। इसलिए किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाते समय न्यायालयों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बलात्कार के आरोप।उन्हें ऐसे मामलों से अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए। अदालतों को किसी मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और अभियोजक के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए जो एक अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए घातक प्रकृति के नहीं हैं। यदि अभियोजक का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित करता है तो भौतिक विवरणों में उसके बयान की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से न्यायालय को उसकी गवाही पर अंतर्निहित निर्भरता रखना मुश्किल लगता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वासन दे सके जो किसी साथी के मामले में आवश्यक पुष्टि से कम हो। अभियोजक की गवाही की पूरे मामले की पृष्ठभूमि में सराहना की जानी चाहिए और निचली अदालत को अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होना चाहिए और यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान संवेदनशील होना चाहिए।"

3 (1996) 2 एससीसी 384

(16) अपीलकर्ता के इस तर्क के बारे में कि वह अपनी पत्नी (डी. डब्ल्यू.-1 शांता देवी भट्ट) के साथ अभियोजक को चेतावनी देता था कि वह अपने दोस्त के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों के साथ मिलावट न करे क्योंकि वे अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे फिर एक बदला लेने वाले रवैये में और वह भी अपने दोस्त की मां (पी. डब्ल्यू.-3 सीमा) के साथ मिलीभगत में अभियोजक को एक झूठे मामले में अपीलकर्ता को फंसाया गया यह देखा गया है कि हालांकि अभियोजक (पी. डब्ल्यू.-13) की गवाही दर्ज करने से पहले पी. डब्ल्यू.-3 सीमा की गवाही दर्ज की गई थी हालांकि सीमा (पी. डब्ल्यू.-3) की गवाही के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि किसी भी अनैतिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के बारे में जिरह के दौरान उसे कोई सुझाव नहीं दिया गया था। इस परिदृश्य में अपीलकर्ता के कहने पर उठाए गए उपरोक्त विवाद का कोई आधार नहीं है।

(17) चिकित्सा साक्ष्य को चुनौती देने के संबंध में, पीडब्लू-6 डॉ. स्मृति जिन्होंने अभियोजक की चिकित्सकीय कानूनी जांच की थी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हालांकि अभियोजक की जांच पर रोगी की योनि उंगली की नोक को स्वीकार करती है लेकिन उनकी राय में यौन संभोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

(18)**-पारिख की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी की पाठ्य पुस्तक,**

में यह निम्नानुसार देखा गया है:-

"यौन संबंधःकानून में, इस शब्द का अर्थ माना जाता है या वीर्य के उत्सर्जन के बिना लिंग द्वारा योनि के प्रवेश की थोड़ी सी डिग्री जिस से जननांगों को कोई चोट पहुँचाए बिना या वीर्य पर कोई दाग छोड़े बिना कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध करना काफी संभव है।

(ललित बत्रा, जे.)

(19) गौर के द पीनल लॉ ऑफ इंडिया में, 6 वीं संस्करण। 1955 (खंड.II), पृष्ठ 1678, यह निम्नानुसार देखा गया हैः

"यहां तक कि बलात्कार की सजा के लिए मूल्य भेदन को भी पर्याप्त माना गया है।

(20) मोदी की मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस की पाठ्य पुस्तक और

टॉक्सिकोलॉजी (21 सेंट एडन। पृष्ठ 369), यह देखा गया है किः

"इस प्रकार, बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य के उत्सर्जन और हाइमेन के हर्षोल्लास के साथ लिंग का पूर्ण प्रवेश होना चाहिए। वीर्य के उत्सर्जन के साथ या उसके बिना लैबिया मेजरा या योनि या पुडेंडा के भीतर लिंग का आंशिक प्रवेश या यहाँ तक कि प्रवेश का प्रयास भी कानून के उद्देश्य के लिए काफी है। इसलिए जननांगों को कोई चोट पहुँचाए बिना या वीर्य पर कोई दाग छोड़े बिना कानूनी रूप से बलात्कार का अपराध करना काफी संभव है।“

(21) पृष्ठ 69 पर टेलर के प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में बलात्कार को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

"किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ उसकी सहमति के बिना अवैध यौन संबंध के रूप में।सहमति की कमी से जुड़े लैबिया के बीच लिंग का सबसे अच्छा प्रवेश अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है।“

(22) अमन कुमार बनाम हरियाणा राज्य 4 में, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास इस सवाल पर विचार करने का अवसर था कि किन परिस्थितियों में प्रवेश बलात्कार का अपराध होगा और निम्नानुसार टिप्पणी की गईः-

“x x x x

बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य के उत्सर्जन और हाइमेन के टूटने के साथ लिंग का पूर्ण प्रवेश होना चाहिए। वीर्य के उत्सर्जन के साथ या उसके बिना योनि या पुडेन्डम के लैबिया मेजरा के भीतर आंशिक प्रवेश कानून में परिभाषित बलात्कार के अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त गहराई भ.द.स.सी.की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध में घुसपैठ की गहराई कोई मायने नहीं रखती है।

4 2004 (1) आर. सी. आर. (सी. आर. एल.) 925 (एससी)

(23) रंजीत हजारिका बनाम असम राज्य 5 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हाइमेन का न टूटना या पीड़ित के गुप्तांगों पर चोट की अनुपस्थिति में उसकी गवाही पर विश्वास नहीं करती है और आगे कहा है कि डॉक्टर की राय कि कोई बलात्कार नहीं किया गया था अभियोजक के एक अन्यथा ठोस और भरोसेमंद सबूत को खारिज नहीं कर सकता है।

(24) कानूनी प्रतिनिधि द्वारा ओ. एम. बेबी (मृत) के मामले में बनाम केरल राज्य 6, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी भी स्थिति में अभियोजक के व्यक्ति पर चोटों या हिंसा के निशान की अनुपस्थिति में निर्णायक नहीं हो सकती है विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां पीड़ित ने उसे धमकी या भय के कारण कोई प्रतिरोध नहीं दिया।

(25) यद्यपि अभियोजक द्वारा शिकायत दर्ज करने में किसी भी देरी के संबंध में अपील में कोई आधार नहीं लिया गया है और न ही अपीलकर्ता की ओर से ऐसा कोई तर्क दिया गया है फिर भी यह देखा गया है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने में देरी अभियोजक के मामले में संदेह करने का कोई आधार नहीं है कि उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।केवल इसलिए कि शिकायत तुरंत से कम दर्ज की गई थी यह निष्कर्ष नहीं उठाता है कि शिकायत झूठी थी। पुलिस के पास जाने की अनिच्छा ऐसी महिला के प्रति समाज के रवैये के कारण है; यह उसके साथ सांत्वना और सहानुभूति के बजाय उस पर संदेह और शर्म पैदा करता है। इसलिए, ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने में देरी का मतलब यह नहीं है कि उनका बयान गलत है।राज्य बनाम गुरमीत सिंह 7 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः-

"अदालतें इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं कि यौन अपराधों में, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी कई कारणों से हो सकती है, विशेष रूप से अभियोजक या उसके परिवार के सदस्यों की पुलिस के पास जाने और उस घटना के बारे में शिकायत करने की अनिच्छा जो अभियोजक की प्रतिष्ठा और उसके परिवार के सम्मान से संबंधित है। इसे शांत विचार देने के बाद ही आमतौर पर यौन अपराध की शिकायत दर्ज की जाती है।"

(26) तत्काल मामले में अभियोजक के रूप में उसके पिता द्वारा उसके कम उम्र के दौरान और जब वह बड़ी हुई तो उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था और अपने पिता के कुकर्म जारी रहे उन्होंने अपने पिता के गलत कार्य के लिए कानूनी रास्ता खोजने का साहसी प्रयास किया। इस परिदृश्य में पुलिस को मामले की सूचना देने में यदि कोई देरी हुई है तो वह महत्वहीन हो गई है।

5 (1998) 8 एस. सी. सी. 635

6 (2012)11 एस. सी. सी. 362

7 ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 1393

(27) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए इस मामले में अपीलकर्ता के गलत निहितार्थ का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार हम एक सुरक्षित निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह अपीलकर्ता था जिसने अभियोजक पर बलात्कार किया था और वह अपनी नाबालिग बेटी पर सात साल की उम्र से ऐसा गलत काम कर रहा था। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अभियोजक की आयु का पता लगाने के लिए, अस्थिकरण परीक्षण किया गया था जिसके संदर्भ में दिनांकित 14.10.2012 (पर्दर्शनी पी/4) की रिपोर्ट के अनुसार दोनों तरफ छह महीने की त्रुटि के अंतर के साथ उसकी अनुमानित हड्डी की आयु 16 से 18 वर्ष बताई गई थी। इस मोड़ पर, यह बताना प्रासंगिक है कि पीडब्लू-5 रामपाल शास्त्री, शिक्षक सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सराय ख्वाजा, जहां अभियोजक संबंधित समय में पढ़ता था ने स्कूल रिकॉर्ड (पर्दर्शनी पी /6) लाया था जिसके संदर्भ में अभियोजक की जन्म तिथि 20 मई 1999 दर्ज की गई थी और इस तरह दिए गए तथ्यों में अभियोजक की आयु 14.10.2012 पर 14 वर्ष से कम थी। हालाँकि अपीलकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ एक कमरे के आवास में रह रहा था, लेकिन केवल वही परिस्थिति अभियोजन पक्ष के बयान को किसी भी तरह की कल्पना से असंभव नहीं बना सकती। इसलिए, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य बहुत सुसंगत, ठोस और भरोसेमंद है। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी-राजेंद्र के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 376 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप को सफलतापूर्वक स्थापित किया। तदनुसार निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखा जाता है।

28. सजा की मात्रा पर आदेश के सम्बंद में यह देखा गया है बच्चों का योन शोषण चिन्ता जनक है और उस में कोई राहत नही है हालाँकि विधायिका ने यौन अपराधो के लिय कड़ी सजा प्रावधान किया है अपीलकरता को दी जाने वाली सजा के सम्बन्ध मै उचित निष्कर्ष पर पहुचने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धांतो का उल्लेख करना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम आशा राम 8 के मामले में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः-

“20. x x x यहाँ वह मामला है जहाँ प्रतिवादी द्वारा किया गया अपराध न केवल कानून को दोष देता है लेकिन सभ्य समाज पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अपराध की गंभीरता का आकलन अपराध की प्रकृति से किया जाना चाहिए। अपराध गंभीर हो सकता है लेकिन अपराध की प्रकृति इतनी गंभीर नहीं हो सकती है। इसी तरह एक अपराध इतना गंभीर नहीं हो सकता है लेकिन अपराध की प्रकृति बहुत गंभीर हो सकती है। आम तौर पर बलात्कार का अपराध अपनी प्रकृति से गंभीर होता है।इसके अलावा जब अपराध का अपराधी पिता अपनी ही बेटी के खिलाफ होता है तो यह अधिक गंभीर और दुर्लभ से दुर्लभ होता है जो एक मजबूत निवारक न्यायिक हाथ की गारंटी देता है। यहाँ तक कि साधारण आपराधिक शब्दावली में भी बलात्कार हत्या से अधिक जघन्य अपराध है क्योंकि यह असहाय महिला की आत्मा को नष्ट कर देता है। ऐसा तब अधिक होता है जब गंभीर अपराध का अपराधी पीड़ित लड़की का पिता होता है। पिता एक किला शरण और अपनी बेटी का संरक्षक होता है। विश्वासघात करके और बेटी द्वारा उस पर रखे गए विश्वास का अनुचित लाभ उठाते हुए 12.30 पूर्वाहन पर विषम समय पर भोजन परोसने से उसने अपनी बेटी की पवित्रता को अपमानित किया उसकी शादी करने की भविष्य की संभावना को खतरे में डाल दिया वैवाहिक और वैवाहिक जीवन का आनंद लिया पूरी तरह से तबाह हो गया है। इतना ही नहीं जब तक वह जीवित है उसके सिर पर एक अमिट सामाजिक कलंक और मृत्युहीन शर्म है।

21. ऐसा कहने के बाद सजा के संबंध में हम मदन गोपाल कक्कड़ (उपरोक्त) के मामले में न्यायमूर्ति पांडियन के अवलोकन को उद्धृत करने के लिए लुभाए जाते हैं जहां यह देखा गया है कि "न्याय की तलवार रखने वाले न्यायाधीशों को उस तलवार का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए अगर अपराधों की गंभीरता की आवश्यकता हो तो पूरी गंभीरता से और अंत तक।"

(29) हमारे विचार में अपीलकर्ता ने नाबालिग पीड़ित के अकेलेपन और असहायता का अनुचित लाभ उठाया है और अभियोजक उसकी क्रूरता का शिकार हो गया है। निर्दोष बच्चों पर यौन अपराधों के अपराधी मनो-सामाजिक विचलित होते हैं जो नरमी का कोई दावा नहीं कर सकते। यह प्रकृति के आदेश में है, और हर जीवित प्राणी का बचपन से लेकर बचपन, किशोरावस्था और अंत में वयस्कता तक खिलने का पवित्र अधिकार है। प्रकृति के इस आदेश को बच्चों के यौन शिकारियों द्वारा हिंसक अव्यवस्था में डाल दिया जाता है।वर्तमान मामले में अभियोजक की निर्दोषता जिसने बचपन की पहली सुगंध किशोरावस्था की तो बात ही छोड़िए को अपीलकर्ता द्वारा बेरहमी से लूटा गया था उसके कृत्य की विचलनता को इस तथ्य से बढ़ाया जा रहा था कि उसने उसके साथ दुराचार करने का विकल्प चुना था।अपीलकर्ता के कारण अभियोजक को जो आघात सहना पड़ता है वह आजीवन होना तय है। इसलिए सजा देने की प्रणाली का संचालन करते हुए कानून को तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आधार पर सुधारात्मक तंत्र या प्रतिरोध को अपनाना चाहिए। कुशल मॉड्यूलेशन द्वारा सजा देने की प्रक्रिया जहां होनी चाहिए वहां कठोर हो और जहां होना चाहिए वहां दया के साथ संयमित हो।

(30) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस तरह सजा के आदेश को बरकरार रखा जाता है।

(31) उपरोक्त चर्चा और निष्कर्षों की अगली कड़ी के रूप में अपील किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दी जाती है।

शुभरीत कौर

विनय पुरी

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।